


पेमाराम Yc कोतानराम = 04/19

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज

09/12/20

पत्रावली पत्रा दुई चकुलाम उषर
वहील अशर्ली ने निलेन डिमानु
दस्तागत शाकीण हाजा में शर्ली इमा
चाय गमा बामा - गम देरी तदतिल-जाफ
के लमरा नं. 636 सी कृषि भूमि ले
कृषि (कृषि सामंकरण) प्रमोजाकी सम्पत्तकी
भूमि है। जिसही परिमाण में किम कृषि
सामंकरण है। किम अंडन नकल पावेदी
लिखत 2073-2076 छाता सं. 467/459 में है
नाथ में है। नाथ ही उक्त भूमि अ लेचम
कम केता खुबदेव को हा रक है। राजस्थान
कारतकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान केअर
निहाय कलकर (500) के शक्तिमा बदल है।
जिसमें कृषि भूमि के लिए है। दस्तागत अक्षर में
विवापित अमरा नं. 636 सी भूमि सम्पत्तकी
है तथा इसी किम गेने अ क्षेत्राधिकार
आमाल्य हाजा के नही है। अतः शाकीण
आमाल्य हाजा के क्षेत्राधिकार का नही होने
से काबिले करिय प्राप्त पाता है। अतः
पत्रावली अने नम्बर से अ क्षेत्र शक्ति
रद्द है।


09/02/20
राज्य के कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नमौर